

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. एफ-2-8-2017-छः.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-7-2-2012-छः.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छः; दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 के परिशिष्ट (एक) में वर्णित तीर्थ स्थलों की सूची के क्रमांक 22 में मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थान-उज्जैन, मैहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट एवं ओंकारेश्वर/महेश्वर के पश्चात् 'मुडवारा' तीर्थ स्थल जोड़ा जाता है.

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 7-2-2012-छः; दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.